ఆంధ్రాబ్యాంక్
(భారత ప్రభుత్వ సంస్థ)
आन्ध्रा बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम.
Andhra Bank
(A Govt. of India Undertaking)

आन्ध्रा बैंक
प्रधान कार्यालय
"डॉ. पट्टाभि भवन"
5-9-11, सैफाबाद
हैदराबाद - 500 004

Andhra Bank
Head Office
"Dr. Pattabhi Bhavan"
5-9-11, Saifabad,
Hyderabad - 500 004

विभाग DEPT: Board Secretariat
Merchant Banking Division
Telefax 040-23230883;Tel.No.040-23252371
E-mail: mbd@andhrabank.co.in

Lr. No. 666/25/P.30/163 Dt: 23.06.2016

The National Stock Exchange
of India Limited
Exchange Plaza
Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai – 400 051.
Fax: 022-26598237/38
cmlist@nse.co.in;

SYMBOL: ANDHRABANK

Dear Sirs,

Sub: Notice of 16th Annual General Meeting of the Bank
Ref: Our letter No. 666/25/P.30/P.71T/64 dated 07.05.2016

Further to our earlier letter dated May 07, 2016, please find enclosed the Notice of 16th Annual General Meeting of the Bank scheduled to be held on Wednesday, July 20, 2016 at 11.00 A.M at 'Pattabhi Bhavanalaya', Andhra Bank Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11 Saifabad, Hyderabad – 500004.

You are requested to take the above on record.

Yours sincerely,

(Y.Amarnath)
Company Secretary

ANDHRA BANK M.B. Division H.O. Hyd.

ANDHRA BANK

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

ANDHRA BANK
M.B. Division
H.O., Hyd.

ANDHRA BANK
(A Govt. of India Undertaking)
Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan
5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500 004

NOTICE

Notice is hereby given that the Sixteenth Annual General Meeting of shareholders of Andhra Bank will be held on Wednesday, 20th July, 2016 at 11.00 A.M. at Pattabhi Bhavanalaya, Andhra Bank Head Office, 5-9-11, Dr. Pattabhi Bhavan, Saifabad, Hyderabad – 500004, to transact the following business:

- To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2016, Profit and Loss Account for the year ended 31st March 2016, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Reports on the Balance Sheet and Accounts;

- To declare dividend on Equity Shares for the financial year 2015-16;

- To consider and if thought fit, to pass with or without modifications the following special resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (Scheme) and Andhra Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and/ or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/ or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/ prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares and/or preference shares (whether cumulative or not; convertible into equity shares or not) in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares, whether perpetual or redeemable, the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued and/or other permitted securities which are capable of being converted into equity or not, upto such amount/s (as decided by the Board or Committee of the Board of the Bank) which together with the existing paid-up equity share capital of Rs.681.16 Crores will be within Rs.3000 Crore, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank, as per Section 3(2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 or to the extent of enhanced

ANDHRA BANK M.B Division H.O. Hyd.

Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a manner that the Central Government's stake in the equity paid-up capital of the bank will not go below such percentage as may be decided by Government of India, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the Members, Employees of the Bank, Indian Nationals, Non-resident Indians (NRIs), Companies, Private or Public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research organizations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity / preference shares / securities of the Bank as per extant regulations/ guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank".

"**RESOLVED FURTHER THAT** such issue, offer or allotment shall be by way of Follow on public issue, rights issue, Private Placement / Qualified Institutional Placement (QIP) or any other mode approved by GOI/RBI, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 ("ICDR Regulations") and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit".

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and/ or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines to issue such securities to investors, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations".

"**RESOLVED FURTHER THAT** in accordance with the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the provisions of the Andhra Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, the provisions of SEBI ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India(SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board may, at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government's stake in the equity paid-up capital of the Bank will not go below such percentage as may be decided by Government of India, to QIBs (as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement, as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time; provided the price



inclusive of the premium of the equity shares so issued shall not be less than the price arrived in accordance with the relevant provisions of ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutional Placement (QIP), pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations..

a) the allotment of securities shall only be to QIBs within the meaning of Chapter VIII of ICDR Regulations, such securities shall be fully paid-up and the allotment of such securities shall be completed within twelve months from the date of this resolution.
b) The Bank is pursuant to Proviso to Regulation 85(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the price so calculated for the QIP, subject to the approval of shareholders as specified in clause (a) of Regulation 82 of SEBI ICDR Regulations.
c) The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations".

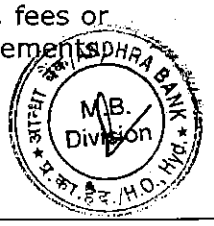
"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the issue and allotment of new equity shares / preference shares / securities, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act".

"**RESOLVED FURTHER THAT** the said new equity shares to be issued shall be subject to Andhra Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, as amended, and shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration".

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares / preference shares / securities, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/ securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board" .

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runners, Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity/ preference shares/ securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies".



"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/ or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares / securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of securities/exercise of warrants/redemption of securities, rate of Interest, redemption period, number of equity shares/preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of securities, the price, premium or discount on issue/ conversion of securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit".

"**RESOLVED FURTHER THAT** such of these shares/ securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law".

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution".

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & Chief Executive Officer and/or to the Executive Director/(s) in the absence of the Managing Director & Chief Executive Officer or to Committee consisting of the Executive Director and the General Manager (Merchant Banking Division)/Company Secretary to give effect to the aforesaid Resolutions."

For and on behalf of the Board of Directors

(Y. Amarnath)
Company Secretary

Place: Hyderabad
Date: 07/05/2016

Notes:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No. 3 of the Notice regarding Raising of Paid up capital is annexed below.

1. **Voting Rights**
 In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

 Subject to the above, as per Regulation 68 of Andhra Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, each shareholder who has been registered as a shareholder on

ANDHRA BANK M.B. Division H.O. Hyd.

the **Cut-off (Specified) Date, i.e. Wednesday, 13th July, 2016** shall have one vote for each share held by him/her in remote e-voting / voting through poll.

Exercise of rights of joint holders:
As per Regulation 10 of the above Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then **first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote on the Resolutions.**

2. **Cut- off Date for the purpose of ascertainment of shareholders entitled to receive the Annual Report including the Notice of Annual General Meeting**

The Bank has fixed **Friday, 17th June, 2016 as the Cut-off date** for the purpose of ascertaining the names of shareholders entitled to receive the Annual Report including the Notice of Annual General Meeting.

3. **Appointment of proxy**

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and to participate in the POLL at the venue of the General Meeting instead of himself/herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank.

In order to be effective, the proxy form must be deposited at the Head Office of the Bank atleast four days before the date of the meeting i.e., upto 05.00 p.m. on or before **Friday, 15th July, 2016**. No employee of the Bank shall be appointed as a duly authorized representative or as a proxy.

4. **Appointment of an Authorised Representative :**

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank at Hyderabad not less than four days before the date of the meeting i.e., upto 05.00 p.m. on or before **Friday, 15th July, 2016**.

5. **Attendance slip-cum-entry pass:**

For the convenience of the members, attendance slip is enclosed to this report. Members are requested to fill in and affix their signatures in the space provided therein and handover the attendance slip-cum-Entry pass at the entrance of the venue of the meeting. Proxy / Representative of the shareholder should mark on the attendance slip as proxy or representative as the case may be.

6. **Book Closure:**

The Register of Shareholders and Share Transfer Books would remain closed from **Friday, 15th July, 2016 to Wednesday, 20th July, 2016** ***(both days inclusive)*** in connection with the Annual General Meeting and for the purpose of ascertaining shareholders entitled to receive the dividend declared by the Bank.

7. **Record Date & Dividend :**

The Board of Directors has recommended a dividend of Rs. 0.50ps. per equity share (i.e.,@5%) for the Financial Year 2015-16. The dividend, if approved by the Shareholders at the Annual General Meeting, shall be paid to the shareholders holding shares in physical form and whose names appear in the Register of

ANDHRA BANK
M.B. Division
H.O. Hyd.

Shareholders/ Beneficial Owners and to the shareholders holding shares in electronic form on the basis of the beneficiary position statement provided by the Depositories as at the end of Thursday, 14th July, 2016 (Record date). The dividend payout date is Tuesday, 26th July, 2016.

8. Dividend payment by way of National Electronic Clearing Service (NECS):

The objective of the system is to facilitate centralized processing of payment of dividend. The NECS (credit) facilitate the Issuer multiple credits to beneficiary accounts which have been covered under Core-Banking Solution. For the purpose, the shareholders have to update their bank account details by furnishing their CBS account number, MICR No., etc. to their respective Depository Participants in case of dematerialized holdings and to the Registrars & Transfer Agents in case of physical holdings. The NECS facilitates the shareholder to receive dividend in his/her account on the pay-out date itself.

9. Updating of any change in address, bank details, etc. of the shareholders :

The shareholders holding the shares in physical form are requested to inform the Bank or its Registrars for noting any change in their address, bank account details, if any, for prompt receipt of any correspondence. The shareholders holding the shares in electronic form are requested to update the change in their address, bank account details, if any, with their respective Depository Participants.

The shareholders holding shares in physical form are requested to inform their PAN details, e-mail id, mobile no., etc. to the Bank or its Registrars for updation of shareholder details. Shareholders holding shares in electronic form are requested to update the said details with their Depository Participant.

10. Consolidation of Folios :

The shareholders who are holding shares in identical order of names in more than one account are requested to intimate to the Registrars and Transfer Agent, the ledger folio of such accounts and send the share certificates to enable the Bank to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the members after making necessary endorsement in due course.

11. Lodgment for Transfers :

Share Certificates along with the duly filled in transfer deed should be forwarded to the Registrars and Transfer Agents of the Bank at the following address:

M/s. MCS Share Transfer Agent Limited (Unit: Andhra Bank)
002, Ground Floor, Kashiram Jamnadas Building
5 P.D Mello Road, Masjid East
Mumbai – 400 009

12. Requests to Shareholders :

a. Please note that copies of the Annual Report will not be distributed at the Annual General Meeting as an economy measure. Hence, shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report to the venue of the meeting.

b. Shareholders may kindly note that no gifts / coupons will be distributed at the venue of the meeting.

ANDHRA BANK M.B. Division H.O. Hyd.

c. Shareholders are advised to avoid bringing bags / brief cases/ tape records / cameras etc. as these items are subject to a security check and may not be allowed at the venue.

13. Green Initiative:

In support of the green initiative, the Bank has sent the soft copy of the annual report through email to those shareholders who have registered their email id with their Depository Participant/ Bank's Registrar & Share Transfer Agent. The Bank has decided to circulate the hard copy of abridged annual report containing the salient features of all the documents, as prescribed to all those shareholder(s) who have not registered their email address(es).

Full version of the annual report will be available on the Bank's website www.andhrabank.in. In case a shareholder wishes to receive a printed copy, he/she may please send a request to the Bank by e-mail to the id: mbd@andhrabank.co.in; upon which hard copy of full annual report will be sent to the shareholder.

14. Voting through electronic means

In terms of Regulation 44(1) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and compliance to the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 or amendments made thereto, the Bank is pleased to offer Remote e-voting facility besides physical ballot, for its Members at the Annual General Meeting which will enable them to cast their votes electronically and to pass the RESOLUTIONS.

The facility to exercise the right to vote on resolutions proposed to be considered at General Meeting by the shareholders, by electronic means has been termed as 'Remote e-voting' by Ministry of Corporate Affairs vide their Notification dated 19.03.2015. These Rules are called as the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015.

For this purpose, the Bank has appointed M/s. Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as a Remote e-voting platform for facilitating its Members to vote electronically. The Bank has also appointed M/s S.N Ananthasubramanian & Co., Practising Company Secretaries, Thane as the Scrutiniser for conducting the Remote e-voting and POLL process in a fair and transparent manner.

The instructions for shareholders voting electronically are as under:

(i) The Remote e-voting period begins on Sunday, 17th July, 2016 and ends on Tuesday, 19th July, 2016. During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (Specified Date) Wednesday, 13th July, 2016 may cast their vote electronically. The Remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) Shareholders who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote at the meeting venue.

(iii) The shareholders should log on to the Remote e-voting website www.evotingindia.com.

(iv) Click on Shareholders.



(v) Now Enter your User ID

a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

(vi) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(vii) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.

(viii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form as on the cut-off date (specified date) Wednesday, 13th July, 2016
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Members who have not updated their PAN with the Bank/RTA/Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field. • In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
Dividend Bank Details **OR** Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login. • If both the details are not recorded with the depository or bank, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (v).

(ix) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(x) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for Remote e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(xi) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for Remote e-voting on the resolutions contained in this Notice.

ANDHRA BANK M.B. Division H.O., Hyd.

(xii) Click on the EVSN for the relevant <ANDHRA BANK> on which you choose to vote.

(xiii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xiv) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xvi) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xvii) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xviii) If a Demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on *Forgot Password* & enter the details as prompted by the system.

(xix) **Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. iPhone and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively on or after 30th June 2016. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.**

(xx) **Note for Non – Individual Shareholders and Custodians**

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

M.B. Division

(xxi) In case you have any queries or issues regarding Remote e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Remote e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com; (CDSL helpline No. 1800 200 5533)

General Information:

(A) The Remote e-voting period begins from 10 A.M. on Sunday, 17th July, 2016 and ends at 05.00 P.M. on Tuesday, 19th July, 2016. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (Specified Date) (for voting), Wednesday, 13th July, 2016, may cast their vote electronically. The Remote e-voting module will be disabled by the Remote e-voting Agency for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

(B) You are advised to cast your vote through Remote e-voting or through Poll at the General Meeting. A shareholder may attend the General Meeting even after exercising his/her right to vote through Remote e-voting but shall not be allowed to participate in the POLL at the venue.

(C) In compliance with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, substituted by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Cut-off date (Specified date) to determine the eligibility of the shareholders to vote by electronic means or through POLL process, is a date not earlier than seven days before the date of General Meeting, i.e. Wednesday, 13th July, 2016. The shareholders who are the Beneficial owners as on the said date will be eligible to participate in Remote e-voting & Poll. In other words, the shareholders holding shares as on Wednesday, 13th July, 2016 only will be able to access the Remote e-voting module to vote electronically and/or participate in the physical POLL at the venue of the General Meeting.

15. Poll process

After all the agenda items have been discussed, the Managing Director & CEO will order Poll in respect of all the items. Poll will be conducted and supervised by Scrutinizers appointed for the purpose. After the conclusion of the Poll, the Managing Director & CEO may declare the meeting as closed. The Results of the Poll aggregated with the Results of Remote e-voting will be announced by the Bank on its website and also informed to the Stock Exchanges.

The issue of POLL Paper will commence immediately after an announcement in this regard is made by the Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) at the venue of the General Meeting. The MD & CEO shall at the General Meeting at the end of discussion on the Resolution on which voting is to be held, allow voting with the assistance of the scrutinizer by use of POLL paper for all those members who are present at the General Meeting but have not cast their votes by availing the Remote e-voting facility.

Polling Papers shall be issued at the Counters set up for this purpose to the shareholders/ Proxy holders/ authorized representatives on surrender of Ballot Paper Pass which was issued at the time of registration. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the cut-off (Specified) date, i.e. Wednesday, 13th July, 2016.

ANDHRA BANK M.B. Division H.O.

Shareholders may exercise their right by indicating their approval against the agenda items in the POLL paper and deposit them in the POLL Box(es) kept at the venue of the General Meeting.

The counting of votes would be taken up thereafter.

The consolidated results of Remote e-voting and Poll will be posted on the website of the Bank and on the website of the Remote e-voting Agency and will be informed to the Stock Exchanges.

16. UNPAID/ UNCLAIMED/ UNENCASHED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not received or claimed dividend for the year 2006-07 (Final) and 2007-08 (Interim and Final) are requested to contact the Bank or Registrar & Share Transfer Agent of the Bank, MCS Share Transfer Agent Ltd, Mumbai.

In terms of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006 (which has come into force from 16.10.2006), the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed or unencashed for a period of seven years is requested to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government under Section 125 of the Companies Act, 2013 and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF shall be available to the shareholders in terms of existing statutory provisions.

(The Unpaid/ Unclaimed Dividend for the year 2006-07 (Final) and 2007-08 (Interim and Final) lying with the Bank shall be transferred to IEPF on 30.06.2016 as per the Government of India guidelines.)

Note:

Bank shall highly appreciate if shareholders, desirous of making any suggestion, seeking clarification, etc. relating to the item of agenda only, at the Annual General Meeting, may send their suggestions, queries, etc. so as to reach the Shareholders / Investor Relation Section at Head Office of the Bank atleast 15 days before the date of meeting.

Explanatory Statement in respect of the business mentioned against item no.3 of the Notice

Raising of capital through Qualified Institutional Placement, Follow-on Public offer, etc.:

To raise capital by way of Qualified Institutional Placement to Qualified Institutional Buyers, Follow-on Public Offer, etc., in such a manner that the Central Government's stake in the equity paid-up capital of the Bank will not go below such percentage as may be decided by Government of India.

a) The present Paid-up Capital of the Bank is Rs.681.16 Crore and the Capital Adequacy Ratio of the Bank as on 31.03.2016 is 11.58% which is well above the 9% stipulated by the Reserve Bank of India. However, in view of the growth plans of the Bank, the implementation of BASEL-III norms and consequent capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio.

b) The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1980, will obtain requisite approval of Government of India, Ministry of Finance and Reserve Bank of India for increasing the paid-up capital of the Bank.



c) Sub-Clause (4) of Regulation 41 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro-rata basis unless the shareholders in the General Meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to create, offer, issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

d) The Resolution seeks to enable the Bank to create, offer, issue and allot equity shares / preference shares / securities by way of QIP, Follow-on Public Offer, Rights Issue etc. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

e) The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to issue shares through Qualified Institutional Placement with Qualified Institutional Buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

In case of a QIP issue in terms of Chapter VIII of ICDR Regulations, issue of securities on QIP basis can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the equity shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". "Relevant date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

f) The approval of the General Body at the 15th Annual General Meeting of the bank for raising capital under various options including QIPs with QIBs was obtained. As per the guidelines, the validity of the resolutions is restricted to twelve months for such QIPs. Keeping in view the future requirements (as denoted in Point (a) above), the approval of the shareholders is sought once again.

g) As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares / securities to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and the Andhra Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, as amended from time to time or any other guidelines / regulations / consents, etc. as may be applicable / required.

h) The detailed terms and conditions for the issuance of the equity shares as and when made will be determined by the Board in consultation with the Merchant Bankers, Lead Managers, Advisors and such other authorities as may required to be considered by the Bank considering the prevailing market conditions and other relevant factors. The Resolution seeks to give the Board powers to issue equity shares / securities in one or more tranches at such time or times, at such price or prices, and to such of the Investors as are mentioned therein as the Board in its absolute discretion deems fit.

i) For reasons aforesaid, an enabling resolution is proposed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.

j) The equity shares issued, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.

k) For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

Your Directors recommend the resolutions as set out in the Notice.

ANDHRA BANK M.B. Division H.O. Hyd.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding in the Bank and their participation in raising of capital, if any.

Place: Hyderabad
Date: 07/05/2016

Y. Amarnath
Company Secretary

M.B. Division

आन्ध्रा बैंक

प्रधान कार्यालय, 5-9-11, डॉ पट्टाभि भवन,

सैफाबाद, हैदराबाद-500004

सूचना

एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आन्ध्रा बैंक के शेयरधारकों की 16वीं वार्षिक साधारण बैठक बुधवार 20 जुलाई को प्रातः11.00 बजे 'पट्टाभि भवनालय', आन्ध्रा बैंक, प्रधान कार्यालय, 5-9-11, डॉ पट्टाभि भवन, सैफाबाद, हैदराबाद-500004 में निम्न उद्देश्य हेतु आयोजित की जाएगी ।

- 31 मार्च 2016 तक लेखा परीक्षित तुलन पत्र तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि खाता, लेखा-अवधि के दौरान बैंक के कार्य तथा गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र तथा खातों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त करने, उस पर विचार करने तथा उसे अपनाने हेतु ।
- वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु ईक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा करना ।
- निम्नलिखित विशेष संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो इसे आशोधन के साथ या बिना आशोधन पारित करना ।

"संकल्प किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधानों) योजना, 1980(योजना) तथा आन्ध्रा बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 2003 के और समय-समय पर यथा संशोधित प्रावधानों और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ("आर बी आई"), भारत सरकार ("जी ओ आई"), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी"), और/या किसी अन्य प्राधिकारी से यथापेक्षित अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, यदि कोई हो, और ऐसे अनुमोदन प्रदान करने हेतु उनके द्वारा यथा निर्धारित ऐसे निबंधन, शर्त और आशोधन, जिससे बैंक के निदेशक मंडल सहमत हों, की शर्त पर, और अद्यतन संशोधन सहित सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षा) विनियमन 2009 (आईसीडीआर विनियमन,2009) और भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के अंतर्गत स्पष्टीकरण सभी अन्य संबंधित प्रधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियम की शर्त पर और शेयर बाजारों में, जिनमें बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हों, के साथ किए गए सूचीकरण करार की शर्त पर, बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद 'बोर्ड' कहा गया है, जिससे यह माना गया कि इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित या इसके बाद गठन की जानेवाली पूंजी निर्गम समिति शामिल है) को एक या अधिक भागों में, एक या अधिक सदस्यों सहित, बैंक के कर्मचारी, भारतीय राष्ट्रिक, अनिवासी भारतीय (एनआरआई), कंपनी, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाएं, सोसाईटी, न्यास, अनुसंधान संगठन, अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेता ("क्यूआईबी"), यथा विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) भारतीय म्यूचुअल फंड, उद्यम पूंजी निधि, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनी, भविष्य निधि, पेंशन फंड, विकास वित्तीय संस्थाएं या अन्य संस्थाएं, प्राधिकारी या निवेशकों की कोई अन्य श्रेणी, जो ईक्विटी/अधिमानी शेयर/बैंक की प्रतिभूतियों में उचित माने गए अनुसार उपर्युक्त में से किसी भी कॉम्बिनेशन में, निवेश करने हेतु प्राधिकृत हैं, को रु.681.16 करोड़ के वर्तमान प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी के साथ-साथ ऐसी राशि (बैंक के बोर्ड या बोर्ड की समिति द्वारा लिए जानेवाले निर्णय के अनुसार) रु.3000 करोड के भीतर, जो बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतर) अधिनियम 1980 की धारा 3(2ए) के अनुसार बैंक की प्राधिकृत पूंजी है या भविष्य में अधिनियम में किए जाने वाले आशोधन (यदि कोई) के अनुसार संवर्धित प्राधिकृत पूंजी की सीमा तक, भारत या विदेश में, ईक्विटी शेयर और/या अधिमानी शेयर (संचयी या नहीं, ईक्विटी में परिवर्तनीय या नहीं) की ऐसी संख्या, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर बनाए जाने वाले दिशा-निर्देशों के अनुरूप हों, अधिमानी शेयरों की श्रेणी विनिर्दिष्ट करते हुए, ऐसे अधिमानी शेयरों की प्रत्येक श्रेणी के निर्गम की सीमा, चाहे बेमीयादी हो या मोचनीय, अधिमानी शेयरों की प्रत्येक श्रेणी हेतु लागू नियम और शर्तों पर, और/या अन्य अनुमत प्रतिभूति, जिन्हें ईक्विटी में परिवर्तन हेतु अनुमति हो या न हो, हेतु प्रस्ताव प्रलेख/प्रास्पेक्टस या ऐसे किसी अन्य प्रलेख के माध्यम से बैंक द्वारा सृजन, ऑफर, निर्गम और आबंटन करने हेतु

आन्ध्रा बैंक/ANDHRA BANK
M.B. Division
प्र.का.हैद./H.O., Hyd.

(इसमें फर्म आबंटन पर आरक्षण और/या निर्गम के ऐसे अंश के प्रतिस्पर्धात्मक आधार शामिल है और तत्समय लागू विधि द्वारा अनुमत व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों के लिए) बैंक के शेयरधारकों की सहमति एतदद्वारा प्रदान की जाती है" ।

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि ऐसा निर्गम, ऑफर या आबंटन सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, निजी प्लेसमेंट, अर्हता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) अथवा जीओआई/भारिबैं द्वारा अन्य किसी पद्धति द्वारा किया जाएगा, जिसमें अति आबंटन विकल्प हो या न हो और ऐसा ऑफर, निर्गम, प्लेसमेंट और आबंटन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों की अधिप्राप्ति और अंतरण) अधिनियम 1980, सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2009 ("आईसीडीआर विनियम") और भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी और यथा लागू काई अन्य प्राधिकार, द्वारा जारी सभी अन्य दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा और ऐसे समय और पद्धति और बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेकानुसार उचित माने गए ऐसे नियम और शर्तों पर किया जाएगा" ।

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को ऐसी कीमत या कीमतों पर और ऐसी पद्धति में जहां कहीं आवश्यक हो, अग्रणी प्रबंधकों और/या निम्नांकक और/या अन्य सलाहकार के परामर्श से या अन्यथा बोर्ड द्वारा, अपने पूर्ण विवेकानुसार, ऐसे मूल्य पर जो आईसीडीआर विनियमों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम मूल्य न हो, आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियमों और कोई या सभी अन्य लागू विधि, नियम, विनियम और दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियां निवेशकों को जारी करने का निर्णय ले सकता है चाहे ऐसे निवेशक बैंक के सदस्य हों या न हों" ।

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि सैबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुरूप, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1980 के प्रावधान, आन्ध्रा बैंक (शेयर और बैठक) विनियम 2003 के प्रावधान, सेबी आईसीडीआर विनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधान और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेश में रह रहे व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियम 2000 के प्रावधान और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैं), विदेशी निवेश प्रवर्तन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति और प्रवर्तन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) और यथापेक्षित सभी अन्य प्राधिकारी (अब से सामूहिक रूप से 'उचित प्राधिकारी' कहा जाएगा) से अपेक्षित अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/या मंजूरी की शर्त पर और इनमें से किसी के द्वारा ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/या मंजूरी (अब से 'आवश्यक अनुमोदन' कहा जाएगा) प्रदान करते समय यथा निर्धारित शर्तों पर, बोर्ड, अपने पूर्ण विवेकानुसार, समय-समय पर, क्यूआईबी (आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII में परिभाषा के अनुसार) को आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार अर्हता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट के अनुपालन में, प्लेसमेंट प्रलेख और/या ऐसे अन्य प्रलेख/लिखित/परिपत्र/ज्ञापन के माध्यम से और ऐसी पद्धति और ऐसे मूल्य, नियम और शर्तों पर, जिनके संबंध में बोर्ड द्वारा आईसीडीआर विनियम और तत्समय लागू विधि के अन्य प्रावधान के अनुसार एक या अधिक भागों में, ईक्विटी शेयर या वारंट के अतिरिक्ति कोई अन्य प्रतिभूति, जो बाद की तारीख में ईक्विटी शेयर के रूप में परिवर्तनीय या के साथ विनिमय योग्य हैं, इस प्रकार से निर्गम, आफर और आबंटित कर सकता है, ताकि बैंक में केंद्र सरकार का अंश भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित प्रतिशत से कम न हो; बशर्ते कि इस प्रकार निर्गमित ईक्विटी शेयरों का प्रीमियम सहित मूल्य आईसीडीआर विनियमों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार आकलित मूल्य से कम न हो" ।

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII के अनुसार अर्हता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के मामले में:

क) प्रतिभूतियों का आबंटन केवल आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII के अंतर्गत क्यूआईबी को ही किया जाएगा, ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णत: प्रदत्त होंगी और ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तारीख से 12 माह के अंदर किया जाएगा।

ख) बैंक आईसीडीआर विनियमों के विनियम 85(1) के प्रावधान के अधीन क्यूआईपी के लिए इस प्रकार आकलित मूल्य के पांच प्रतिशत से अनधिक बट्टे पर शेयर ऑफर करने हेतु प्राधिकृत है ।

ग) प्रतिभूतियों का आधार मूल्य निर्धारित करने हेतु संबंधित तिथि आईसीडीआर विनियम के अनुसार होगी ।

ANDHRA BANK M.B. Division H.O.

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी/ स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य उचित प्राधिकारियों द्वारा निर्गम, आबंटन और इनके सूचीकरण हेतु अपने अनुमोदन, अनुमति और मंज़ूरी प्रदान करते समय अपेक्षित या अधिरोपित अनुसार और बोर्ड द्वारा सहमति दिए अनुसार प्रस्ताव में आशोधित स्वीकार करने का प्राधिकार होगा" ।

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि एनआरआई, एफआईआई और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को नए ईक्विटी शेयर/अधिमानी शेयर/प्रतिभूति, यदि हो का निर्गम और आबंटन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत यथा लागू भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन की शर्त पर परंतु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के अधीन है" ।

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले उक्त नए ईक्विटी शेयर, संशोधित अनुसार आन्ध्रा बैंक (शेयर एवं बैठक) अधिनियम, 2003 की शर्त पर ऐसी घोषणा के समय यथा लागू सांविधिक दिशा-निर्देशों के अनुसरण में सभी प्रकार से बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयर, लाभांश सहित, यदि हो, की सममात्रा होंगे" ।

'आगे यह संकल्प किया जाता है कि ईक्विटी शेयरों/अधिमानी शेयरों/प्रतिभूतियों के किसी निर्गम या आबंटन को प्रभावी बनाने के प्रयोजन हेतु सार्वजनिक ऑफर के नियमों को निर्धारित करने हेतु बोर्ड को एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है, इसमें प्रतिभूति आबंटित करने हेतु निवेशकों की श्रेणी, प्रत्येक भाग में आबंटित किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेकानुसार उचित माने गए अनुसार निर्गम पर प्रीमियम राशि तथा ऐसे सभी कृत्य, कार्य करने, मामलों और विषय के संबंध में निर्णय लेने, ऐसे विलेख, प्रलेख और करार, जिन्हें वे अपने पूर्ण विवेकानुसार आवश्यक, उचित या वांछनीय मानते हो, निष्पादित करने और किसी प्रश्न, समस्या और शंका, जो सार्वजनिक ऑफर, निर्गम, आबंटन और निर्गम आगम के उपयोग के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं के निपटान हेतु अनुदेश या निदेश देने और अपने पूर्ण विवेकानुसार बैंक के हित में उचित और सही माने जाने के अनुसार नियम और शर्तों के संबंध में ऐसे आशोधन, परिवर्तन, विचलन, बदलाव, विलोपन और संवर्धन करना शामिल है, और इसके लिए सदस्यों से आगे अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी और बैंक को तथा बोर्ड को इस संकल्प के माध्यम से प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकता है" ।

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड एतद्द्वारा किसी भी बुक रन्नर, लीड मैनेजर/रों, बैंकर/रों, निम्नांकक/कों, डिपोजिटरी/यों, रजिष्ट्रार, लेखापरीक्षक और ऐसी सभी एजेंसी, जो ईक्विटी/अधिमानी शेयर/प्रतिभूतियों की ऐसी ऑफरिंग में शामिल या संबद्ध है, के साथ ऐसी व्यवस्था के निष्पादन के लिए प्राधिकृत है और ऐसी सभी संस्थाओं और एजेंसियों को कमीशन, ब्रोकरेज, शुल्क आदि पारिश्रमिक देगा और ऐसी सभी व्यवस्था, करार, ज्ञापन, प्रलेख आदि का निष्पादन ऐसी ऐजेंसियों के साथ करेगा" ।

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजन हेतु बोर्ड लीड मैनेजरों, निम्नांककों, सलाहकारों तथा/अथवा बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों को एतदद्वारा निर्गम के प्रारूप और शर्तों के निर्धारण के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जिसमें शेयरों/प्रतिभूतियों के आबंटन हेतु निवेशकों की श्रेणी, प्रत्येक ट्रेंच में आबंटित की जाने वाली शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, इश्यू मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि हो) अंकित मूल्य, प्रतिभूतियों के वारंट/शोधन के प्रतिभूति/निष्पादन के निर्गम/संपरिवर्तन पर प्रीमियम राशि, ब्याज-दर, शोधन अवधि, ईक्विटी शेयर/अधिमानी शेयर की संख्या, अथवा संपरिवर्तन पर अन्य प्रतिभूतियां अथवा शोधन अथवा प्रतिभूतियों, मूल्य, प्रीमियम का निरसन अथवा प्रतिभूतियों का निर्गम/संपरिवर्तन पर बट्टे, ब्याज-दर, संपरिवर्तन की अवधि, रिकार्ड तारीख या बुक क्लोजर का निर्धारण तथा संबद्ध अथवा प्रासंगिक मामले, भारत में और/या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग भी शामिल है, जिसे बोर्ड अपने विवेकानुसार उपयुक्त समझता है" ।

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि इन शेयरों/प्रतिभूतियों के जो भाग सब्सक्राइब नहीं है, बोर्ड उसे अपने विवेकानुसार डिस्पोज-ऑफ कर सकता है, जैसाकि बोर्ड उचित समझता है और कानून द्वारा अनुमेय है" ।

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के प्रयोजन हेतु, बोर्ड को ऐसे कार्य, कृत्य, मामले और विषय, करने का प्राधिकार दिया जाए और एतदद्वारा प्रदान किया जाए, जो अपने पूर्ण विवेक के आधार पर आवश्यक, उचित और वांछनीय प्रतीत हो और ईक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम के संबंध में उठने वाले किसी प्रश्न, समस्या या शंका को निपटाने और आगे ऐसे कार्य, कृत्य, मामले और विषयों को अंतिम रूप देने और ऐसे सभी

ANDHRA BANK M.B. Division H.O. Hyd.

आवश्यक, उचित और समीचीन प्रलेख और लेखनी निष्पादित करने, जिन्हें अपने पूर्ण विवेक के आधार पर उपयुक्त, उचित या वांछनीय माने जिसके आशय और उद्देश्य के लिए शेयरधारकों से और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता न हो और यह माना जाएगा कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार से इस प्रयोजन के लिए स्पष्ट अनुमोदन प्रदान किया है" ।

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प प्रभावी बनाने हेतु बोर्ड को इससे प्रदत्त सभी या कोई अधिकार प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को तथा/अथवा प्रबंध निदेशक एंव मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक/कों को अथवा कार्यपालक निदेशक तथा महा प्रबंधक (व्यापार बैंकिंग खंड)/कंपनी सचिव वाली समिति को प्रत्यायोजित करने हेतु प्राधिकार एतदद्वारा प्रदान किया जाता है"।

निदेशक मंडल हेतु और की ओर से

31/2/2016

(वाई अमरनाथ)
कंपनी सचिव

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 07/05/2016

टिप्पणियां:

प्रदत्त पूंजी जुटाने के संबंध में नोटिस की मद संख्या 3 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य दर्शाने वाली वर्णनात्मक विवरणी संलग्न है।

1. मतदान अधिकार
 बैंककारी कंपनी (उपक्रमों की अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उप धारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार नए प्रतिनिधि बैंक का कोई भी शेयरधारक, केंद्र सरकार के अतिरिक्त, अपने द्वारा धारित शेयरों के संबंध में बैंक के कुल शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत के अतिरिक्त मतदान अधिकारों का प्रयोग करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
2. उपर्युक्त की शर्त पर, आन्ध्रा बैंक (शेयर और बैठक) विनियम 2003 के विनियम 68 के अनुसार, अंतिम (विनिर्दिष्ट) तिथि यानी बुधवार 13.07.2016 तक शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को रिमोट ई-वोटिंग / चुनाव द्वारा वोटिंग हेतु उनके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर हेतु एक वोट प्राप्त होगा।
3. संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग:
4. उपर्युक्त विनियमों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो रजिस्टर में पहले दर्ज व्यक्ति को, मतदान हेतु, इसका एकल धारक माना जाएगा। अतः, यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर है, तो प्रथम नामित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने और संकल्पों पर मतदान देने हेतु पात्र हैं।
5. वार्षिक साधारण बैठक की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के प्रयोजन हेतु अंतिम तिथि
6. बैंक ने वार्षिक साधारण बैठक की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के प्रयोजन हेतु शुक्रवार, 17.06.2016 अंतिम तिथि निर्धारित की है।
7. प्रॉक्सी की नियुक्ति
8. शेयरधारक जिसे बैठक में भाग लेकर वोट करने का हकदार है, को अपने स्थान पर साधारण बैठक में भाग लेने और मतदान में भाग लेने हेतु प्रॉक्सी को नियुक्त करने का अधिकार है और ऐसा प्रॉक्सी बैंक का शेयरधारक होने की आवश्यकता नहीं है।
9. प्रभावी होने हेतु, प्रॉक्सी फार्म बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले याने कि शुक्रवार, 15 जुलाई 2016 को सायं 5.00 बजे तक या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा कर दिया जाना चाहिए। बैंक के किसी भी कर्मचारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

आन्ध्रा बैंक/ANDHRA BANK ★ M.B. Division ★ प्र.का.हैद./H.O.: Hyd.

10. **<u>प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति</u>:**

बैठक में भाग लेने अथवा वोट देने हेतु कंपनी के विधिवत् अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति पात्र नहीं होगा जब तक कि बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्यप्रति, विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति वाले संकल्प की एक प्रति, बैठक की तिथि से न्यूनतम 4 दिन पूर्व याने कि शुक्रवार, 15 जुलाई 2016 को सायं 5.00 बजे तक या उससे पहले हैदराबाद में बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा करा दी जाए।

11. **<u>उपस्थिति सह प्रवेश हेतु पास:</u>**

सदस्यों की सुविधा हेतु, उपस्थितिपर्ची- इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे फार्म भरकर दिए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करके उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास हेतु बैठक के स्थान के गेट पर दें । शेयरधारक के प्रॉक्सी/ प्रतिनिधि को प्रॉक्सी अथवा प्रतिनिधि के रूप में, जैसा भी मामला हो, उपस्थिति पर्ची पर दर्शाना चाहिए।

12. **<u>बही संवरण</u>** :

वार्षिक आम बैठक और बैंक द्वारा घोषित लाभांश प्राप्त करने के लिए हकदार शेयरधारकों का निर्णय करने के प्रयोजनार्थ शेयरधारक रजिस्टर और शेयर अंतरण बही **शुक्रवार, 15 जुलाई 2016 से बुधवार 20 जुलाई 2016 *(दोनों दिन शामिल)*** तक बंद रहेंगी।

13. **<u>रिकार्ड-तिथि तथा लाभांश</u>:**

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु प्रति ईक्विटी शेयर रु.0.50 (5%) लाभांश हेतु सिफारिश की है । लाभांश, यदि वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित हो, का भुगतान गुरूवार 14 जुलाई 2016 (रिकार्ड-तिथि) के अंत तक भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और जिनके नाम शेयरधारकों/ हिताधिकारी स्वामी के रजिस्टर में उपलब्ध हैं और निक्षेपागार द्वारा उपलब्ध कराए गए हिताधिकारी स्थिति विवरण के अनुसार इलेक्ट्रानिक रूप से शेयर रखने वाले शेयर धारकों को किया जाएगा। लाभांश भुगतान तिथि मंगलवार, 26 जुलाई 2016 है।

14. **<u>राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा के माध्यम से लाभांश भुगतान (एनईसीएस)</u>** :

प्रणाली का उद्देश्य लाभांश भुगतान का केंद्रीकृत संसाधन करना है। एनईसीएस (क्रेडिट) से निर्गमकर्ता को हिताधिकारी के खाते, जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन से जुड़े हैं, को बहुविध जमा देने की सुविधा प्रदान करती है। इस प्रयोजन के लिए शेयरधारकों को अमूर्त धारिता के मामले में अपने संबंधित निक्षेपागार प्रतिभागियों को और भौतिक धारिता के मामले में रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट को अपना सीबीएस खाता नंबर, एमआईसीआर नंबर आदि देतेहुए बैंक खाता विवरण अद्यतन करना होगा। एनईसीएस शेयरधारक को अपने खाते में, लाभांश भुगतान तिथि को ही लाभांश प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।

9. **<u>शेयर धारकों का पता, बैंक विवरण आदि में परिवर्तन अद्यतन करना</u>**

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक या अपने रजिस्ट्रार को अपने पते, बैंक खाता विवरण में परिवर्तन, यदि हो, की सूचना दें ताकि तुरंत पत्राचार में सुविधा हो सके। इलेक्ट्रानिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों के पास अपने पते, बैंक खाता विवरण में परिवर्तन, यदि हो, अद्यतन करवाएं।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि शेयरधारक विवरण अद्यतन करने हेतु बैंक या अपनेरजिस्ट्रार को पैन विवरण, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि सूचित करें।

आंध्रा बैंक/ANDHRA BANK M.B. Division प्र.का.हैद./H.O. Hyd.

इलेक्ट्रानिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपने निक्षेपागार प्रतिभागी के पास उक्त विवरण अद्यतन करें।

10. **फोलियो का समेकन**:

जिन शेयरधारकों के शेयर, एक से अधिक खाते में मिलतेजुलते- नामों के क्रम में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे ऐसे खातों के लेजरफोलियो- की सूचना रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट को दें तथा शेयर प्रमाणपत्र- भिजवाएं ताकि बैंक सभी शेयरों का एक खाते में समेकन कर सके। आवश्यक पृष्ठांकन करने के पश्चात् शेयर प्रमाणपत्र- सदस्यों को लौटा दिए जाएंगे।

11. **अंतरण हेतु प्रस्तुतीकरण**:

विधिवत् भरे हुए अंतरणविलेख- सहित शेयर प्रमाणपत्र- निम्न पते पर बैंक के रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट को प्रेषित किए जाने चाहिए-:

मैसर्ज़ एमसीएस शेयर अंतरण एजेंट लिमिटेड (यूनिटः आन्ध्रा बैंक)
002, भूतल-, कांशीराम जमनादास बिल्डिंग
5, पीडिमेलो. रोड, मस्जिद पूर्व
मुम्बई- 400 009

12. **शेयरधारकों से अनुरोध**:

क. कृपया नोट करें कि किफायती उपायों के कारण वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वार्षिक साधारण बैठक में नहीं बाँटी जाएंगी। अतः, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति बैठक के स्थान पर साथ लाएं।

ख. शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक के स्थान पर कोई तोहफे / कूपन वितरित नहीं किए जाएंगे।

ग. शेयरधारकों से अनुरोध है कि थैली/ब्रीफकेस/ टेप रिकार्डर/ कैमेरा आदि लाने से बचें चूंकि इन सभी मदों की सुरक्षा जाँच की जा सकती है और बैठक स्थान में इन्हें लाए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13. **हरित पहल**:

हरित पहल के समर्थन में, बैंक शेयरधारकों को, जिन्होंने अपने निक्षेपागार सहभागी/ बैंक रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास अपना ईमेल- आईडी पंजीकृत किया है, ईमेल- द्वारा वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट प्रति भेजी है । बैंक ने निर्णय लिया है कि जिन शेयरधारकों ने अपना ईमेल- पते पंजीकृत नहीं किया है, उन्हें यथा निर्धारित सभी प्रलेखों की मुख्य बातें युक्त संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट की हार्ड प्रति परिचालित की जाएगी ।

वार्षिक रिपोर्ट का पूर्ण पाठ बैंक की वैबसाईट www.andhrabank.in में उपलब्ध होगा। यदि शेयरधारक मुद्रित प्रति प्राप्त करना चाहते हैं तो वे कृपया ईमेल- द्वारा mbd@andhrabank.co.in को अनुरोध भेजें, जिसके प्राप्त होने पर शेयरधारक को पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट की हार्ड प्रति भेजी जाएगी।

14. **इलेक्ट्रानिक माध्यम से वोटिंग**

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 और उसमें किए गए संशोधनों के अनुपालन में तथा सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटन अपेक्षाएं) के विनियम 2015 के विनियम 44(1) के अनुसार सभी शेयरधारकों को भौतिक बैलट के अलावा रिमोट ई-वोटिंग का विकल्प देते हुए बैंक को अत्यंत प्रसन्नता है, ताकि वे संकल्प पारित करने हेतु अपने वोट इलेक्ट्रानिक रूप से दे सकें।

आन्ध्रा बैंक/ANDHRA BANK M.B. Division प्र.का.है.द./H.O., Hyd.

शेयरधारकों द्वारा साधारण बैठक में प्रस्तावित संकल्पों पर मतदान के अधिकार का प्रयोग इलेक्ट्रानिक माध्यम से करनेकी सुविधा को कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अपनेदिनांक 19.03.2015 की अधिसूचना के अंतर्गत रिमोट ई-वोटिंग का नाम दिया गया है। इन नियमों को कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) आशोधन नियम, 2015 कहा जाता है।

इस प्रयोजन के लिए बैंक ने अपने सदस्यों को इलेक्ट्रानिक माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए रिमोट ई-वोटिंग प्लैटफार्म प्रदान करने के लिए मैसर्ज सेंट्रल डिपासिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीएसडीएल) को ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। बैंक ने मैसर्ज एन, व्यावसायिक कंपनी सचिव, हैदराबाद को रिमोट ई-वोटिंग और मतदान प्रक्रिया को उचित और पारदर्शी पद्धति में आयोजित करने हेतु जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है।

इलैक्ट्रानिक रूप से मतदान हेतु सदस्यों को अनुदेश निम्नानुसार है :-

(i) रिमोट ई-वोटिंग अवधि रविवार, 17 जुलाई 2016 से प्रारंभ होती है और मंगलवार, 19 जुलाई 2016 को समाप्त होती है। इस अवधि के दौरान, बैंक के शेयरधारक, जो बुधवार, 13 जुलाई 2016 को भौतिक रूप में या अमूर्त रूप में शेयर रखते हैं अपना वोट इलैक्ट्रानिक रूप में डाल सकते हैं। इसके बाद सीएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल डिसेबल किया जाएगा।

(ii) बैठक की तिथि से पूर्व जिन शेयरधारकों ने पहले ही वोट किया हो वे बैठक के स्थान पर वोट करने के हकदार नहीं होंगे ।

(iii) शेयरधारक ई-वोटिंग वैबसाईट www.evotingindia.com पर लॉगइन करें।

(iv) शेयरधारकों पर क्लिक करें।

(v) अब अपने यूज़र आईडी की प्रविष्टि करें।
 क. सीडीएसएल हेतु : 16 अंक हिताधिकारी आईडी
 ख. एनएसडीएल के लिए - 8 अंक डीपी आई डी के बाद 8 अंक ग्राहक आईडी
 ग. भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य बैंक के पास पंजीकृत फोलियो नंबर की प्रविष्टि करें।

(vi) आगे प्रदर्शित इमेज सत्यापन हेतु प्रविष्ट करें और लॉगइन पर क्लिक करें।

(vii) यदि आप डीमैट रूप में शेयर रखते हैं और www.evotingindia.com में लॉग करके इससे पहले किसी कंपनी के लिए मतदान कर चुके हैं तो अपने वर्तमान पासवर्ड का उपयोग करें ।

(viii) यदि आप पहली बार उपयोग कर रहे हैं तो नीचे दिए अनुदेशों का पालन करें।

अंतिम तिथि (विनिर्दिष्ट तिथि) बुधवार, 13 जुलाई 2016 को डीमैट रूप में और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए	
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंक आल्फा-न्यूमरिक पैन नंबर दर्ज करें। (डीमैट शेयरधारक तथा भौतिक शेयर धारक दोनों के लिए लागू) • जिन सदस्यों ने बैंक/आरटीए/निक्षेपागार प्रतिभागी के पास अपना पैन अद्यतन नहीं करवाया है उनसे अनुरोध है कि अपने नाम के पहले दो अक्षर और क्रम संख्या के 8 अंक पैन फील्ड में दर्ज करें। • यदि क्रम संख्या 8 अंक से कम हो तो नाम के पहले दो अक्षर बडे अक्षरों में दर्ज करने के बाद उचित संख्या में 0 लिखें । उदाहरण के लिए यदि आपका नाम रमेश कुमार है और क्रम संख्या 1 है तो पैन फील्ड में RA00000001 दर्ज करें।

आन्ध्रा बैंक/ANDHRA BANK M.B. Division हैद./H.O.

लाभांश बैंक विवरण या जन्मतिथि (डीओबी)	लॉगइन करने के लिए अपने बैंक रिकार्ड या डीमैट खाते में रिकार्ड किए अनुसार जन्म तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई फार्मेट में) या लाभांश बैंक विवरण दर्ज करें। • यदि निक्षेपागार या बैंक के पास दोनों विवरण दर्ज नहीं हैं तो कृपया अनुदेश (v) में दिए अनुसार सदस्य आईडी/ फोलियो नंबर लाभांश बैंक विवरण फील्ड में दर्ज करें।

(ix) ये विवरण ठीक से दर्ज करने के बाद 'सब्मिट' टैब पर क्लिक करें।

(x) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य तब सीधे कंपनी चयन स्क्रीन देख पाएंगे। तथापि, डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अब 'पासवर्ड सृजन' मेनु पर आएंगे जहां उन्हें अनिवार्यत: अपना लॉगइन पासवर्ड नए पासवर्ड फील्ड में दर्ज करना होगा। कृपया नोट करें कि यदि डीमैट धारक किसी अन्य कंपनी के संकल्पों पर मतदान देने के पात्र हैं तो वे इसी पासवर्ड का उपयोग करेंगे बशर्ते कि वह कंपनी सीडीएसएल प्लैटफार्म द्वारा मतदान देने का चयन करता है। यह सिफारिश की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं और अपना पासवर्ड गोपनीय रखें।

(xi) भौतिक रुप में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा इस नोटिस में समाविष्ट संकल्पों पर रिमोट ई-वोटिंग हेतु इन विवरणों का उपयोग किया जा सकता है।

(xii) ईवीएसएन पर मतदान के लिए संबंधित <Andhra Bank> के चयन हेतु क्लिक करें।

(xiii) वोटिंग पृष्ठ पर आप 'संकल्प विवरण' देखेंगे और इसपर मतदान हेतु 'हॉ/नहीं' विकलप देखेंगे । अपनी इच्छा अनुसार हां या नहीं विकल्प का चयन करें। विकल्प हां का अर्थ है कि आप संकल्प हेतु अपनी सहमति दे रहे हैं और विकल्प नहीं का अर्थ है कि आप संकल्प से असहमत हैं।

(xiv) यदि आप संपूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहते हैं तो 'संकल्प फाईल लिंक' पर क्लिक करें।

(xv) मतदान हेतु संकल्प का चयन करने के बाद 'सब्मिट' पर क्लिक करें। पुष्टिकरण बक्स प्रदर्शत होगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो 'ओके' पर क्लिक करें अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए 'कैनसल' पर क्लिक करें और अपने वोट को तदनुसार बदलें।

(xvi) 'पुष्टि' के बाद आप वोट में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे।

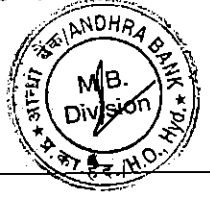
(xvii) आप अपने द्वारा किए गए वोटिंग का प्रिंट भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको मतदान पृष्ठ पर 'क्लिक हियर टू प्रिंट' विकल्प पर क्लिक करना होगा।

(xviii) यदि डीमैट खाता धारक अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो वे यूज़र आईडी और इमेज सत्यापन कोड दर्ज कर फर्गाट पासवर्ड पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा पूछे गए विवरण दर्ज करें।

(xix) शेयरधारक एनड्रोयड आधारित मोबाइलों के लिए उपलब्ध सीडीएसएल मोबाइल एप्प का प्रयोग करते हुए अपना वोट दे सकते हैं । एम-वोटिंग एप्प गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है । आईफोन और विंडोस फोन प्रयोक्ता क्रमश: एप्प स्टोर और विंडोज फोन स्टोर से 30 जून 2016 या उसके बाद एप्प डाउन लोड कर सकते हैं । कृपया मोबाइल से वोट करते समय मोबाइल एप्प द्वारा दिए गए अनुदेशों का पालन करें ।

(xx) गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों (संस्थागत निवेशक) और अभिरक्षक के लिए नोट

- गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों (याने व्यक्तियों एचयुएफ, एनआरआई आदि को छोडकर और अभिरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉगइन कर स्वयं को कार्पोरेट के रूप में पंजीकृत करना होगा।



- पंजीकरण फार्म की स्कैन प्रति जिस पर संस्था की मोहर और हस्ताक्षर हों, helpdesk.evoting@cdslindia.com को ईमेल की जाए।
- लॉगइन विवरण प्राप्त होने के बाद एडमिन लॉगइन और पासवर्ड के साथ अनुपालन यूज़र का सृजन किया जाए। अनुपालन यूज़र मतदान देने हेतु अपनी इच्छानुसार खाते लिंक कर पाएंगे।
- लॉगइन में लिंकड खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को ईमेल की जाए और खातों के अनुमोदन के बाद वे अपना वोट दे पाएंगे।
- जांचकर्ता द्वारा सत्यापन हेतु अभिरक्षक के पक्ष में जारी बोर्ड संकल्प और मुख्यतारनामा (पीओए), यदि हो तो, की स्कैन की गई प्रति, पीडीएफ फार्मेट में अपलोड की जाए ।

(xxi) यदि आपको ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या मुद्दे हैं, तो आप www.evotingindia.com में सहायता खंड के अंतर्गत उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (एफएक्यू) और ई-वोटिंग नियमावली का संदर्भ ले सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com को ईमेल भेज सकते हैं। (सीडीएसएल हेल्पलाइन नम्बर 1800 200 5533)

सामान्य सूचना:

क) रिमोट ई-वोटिंग अवधि रविवार 17 जुलाई 2016 को सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगी और मंगलवार, 19 जुलाई 2016 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, अंतिम तिथि (विनिर्दिष्ट तिथि) (मतदान के लिए) बुधवार, 13 जुलाई 2016 को बैंक के शेयरधारक, जिनके पास भौतिक रूप में या अमूर्त रूप में शेयर हैं, इलेक्ट्रानिक रूप से अपना वोट दे सकते हैं। इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी द्वारा वोटिंग हेतु रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल डिसेबल कर दिया जाएगा । शेयरधारक द्वारा संकल्प पर वोट दिए जाने के बाद, शेयरधारक द्वारा इसे बदला नहीं जा सकता।

ख) आपको सलाह दी जाती है कि रिमोट ई-वोटिंग या साधारण बैठक में मतदान द्वारा अपना वोट दें। शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी साधारण बैठक में भाग ले सकता है लेकिन उन्हें बैठक में मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

ग) कंपनी नियम, 2014 (प्रबंधन एवं प्रशासन) के नियम 20 के बदले में प्रतिस्थापित कंपनी संशोधन नियम, 2015 (प्रबंन्धन एवं प्रशासन के अनुपालन में इलेक्ट्रानिक माध्यम या मतदान प्रक्रिया के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा वोट देने की पात्रता निर्धारित करने हेतु अंतिम तिथि (विनिर्दिष्ट तिथि) वह तिथि है जो, साधारण बैठक की तिथि से सात दिन से पूर्व की न हो याने बुधवार, 13 जुलाई 2016 । शेयरधारक जो उक्त तिथि को हिताधिकारी स्वामी हैं, रिमोट ई-वोटिंग में भाग लेने हेतु पात्र होंगे। अन्य शब्दों में, बुधवार, 13 जुलाई 2016 को शेयर रखने वाले शेयरधारक ही इलेक्ट्रानिक रूप से वोट देने हेतु रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल एक्सेस कर पाएंगे और/ वार्षिक साधारण बैठक में भौतिक मतदान में भाग ले पाएंगे।

15. **मतदान प्रक्रिया**

सभी कार्यसूची मदों पर चर्चा के बाद प्रबंध निदेशक एवं सीईओ सभी मदों पर मतदान का आदेश देगें । मतदान इस प्रयोजन हेतु नियुक्त जाँचकर्ताओं द्वारा आयोजित एवं परिवीक्षित होगा । मतदान की समाप्ति पर प्रबंध निदेशक एवं सीईओ बैठक को समाप्त घोषित करेंगे । मतदान के

आंध्रा बैंक ANDHRA BANK M.B. Division H.O.

परिणाम, रिमोट ई-वोटिंग के परिणामों के साथ मिलाकर बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा तथा स्टॉक एक्सचेजों को भी सूचित किया जाएगा ।

मतदान पर्ची का वितरण इस संबंध में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा साधारण बैठक स्थान में इस संबंध में घोषणा के तुरंत बाद प्रारंभ होगा । प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा साधारण बैठक में मतदान हेतु संकल्पों पर चर्चा की समाप्ति पर, साधारण बैठक में उपस्थित सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग कर अपना वोट नहीं दिया है, द्वारा मतदान पर्ची का उपयोग करते हुए जांचकर्ता की सहायता से मतदान हेतु अनुमति देंगे ।

मतदान पर्ची जारी करने के प्रयोजनार्थ स्थापित काउण्टरों पर शेयरधारकों/ प्रोक्सी धारकों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा पंजीकरण के समय जारी बैलेट पेपर पास जमा करने पर मतदान पर्ची जारी की जाएगी । वोटों की संख्या अंतिम तिथि (विनिर्दिष्ट तिथि) याने बुधवार, जुलाई 13, 2016) को उनके द्वारा धारित शेयरों के समान होगी।

शेयरधारक मतदान पर्ची की कार्यसूची मदों के आगे अपना अनुमोदन दर्शाते हुए अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और उसे साधारण बैठक स्थान में रखे गए मतदान पेटी (पेटियों) में जमा कर सकते हैं।

इसके बाद वोटों की गिनती की जाएगी ।

रिमोट ई-वोटिंग और मतदान के समेकित परिणाम को बैंक की वैबसाईट और रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी की वैबसाईट में पोस्ट किया जाएगा और स्टॉक एक्सचैंज को सूचित किया जाएगा ।

16. **<u>अप्रदत्त/अदावाकृत/नहीं भुनाए गए लाभांश, यदि हों</u>**

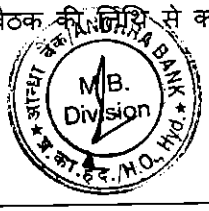
जिन शेयरधारकों को वर्ष 2006-07 व 2007-08 हेतु लाभांश प्राप्त नहीं हुआ है अथवा दावा नहीं किया है (अंतरिम तथा अंतिम), उनसे अनुरोध है कि वे बैंक अथवा रजिस्ट्रार एवं बैंक के शेयर अंतरण एजेंट, एमसीएस शेयर अंतरण एजेंट लि, मुम्बई से सम्पर्क करें ।

बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्थाएं कानून (संशोधन) अधिनियम, 2006 (जो 16.10.2006 से प्रभावी हुआ) के अनुरूप, सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त, अदावाकृत अथवा नहीं भुनाए गए लाभांश की राशि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) को अंतरित की जाए तथा तत्पश्चात बैंक अथवा आईईपीएफ को भुगतान हेतु कोई दावा वर्तमान सांविधिक प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जा सकेगा ।

बैंक में वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 हेतु अप्रदत्त/अदावाकृत लाभांश (अंतरिम तथा अंतिम) भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप 30.06.2016 को आईईपीएफ को अंतरित कर दिया जाएगा ।

<u>नोट:</u>

बैंक को अत्यंत प्रसन्नता होगी यदि शेयरधारक वार्षिक साधारण बैठक की कार्यसूची मदों के संबंध में, कोई सुझाव देना चाहते हैं, स्पष्टीकरण मांगना चाहते हैं आदि अपने सुझाव, प्रश्न आदि बैठक की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय के निवेशक सेवा अनुभाग को भेजें।



सूचना की मद सं.3 में उल्लिखित व्यापार के संबंध में विवरणात्मक विवरणी

अर्हताप्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट, फॉलो-ऑन पब्लिक आफर द्वारा पूंजी जुटाना आदि

अर्हता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट द्वारा अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं को, फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर आदि के माध्यम से पूंजी जुटाना जिससे बैंक की प्रदत्त ईक्विटी पूंजी में केंद्र सरकार का स्टेक भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित ऐसे प्रतिशत से कम न हो।

क. बैंक की वर्तमान प्रदत्त पूंजी रु.681.16 करोड़ है और दि.31.03.2016 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.58% है जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट 9% से कहीं अधिक है। तथापि, बैंक की विकास योजनाओं, बेसल -III मानकों का कार्यान्वयन और परिणामी पूंजी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, पूंजी को और अधिक बढाते हुए पूंजी पर्याप्तता अनुपात को सुदृढ बनाने की आवश्यकता है।

ख. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3(2बी)(सी) के अनुसार बैंक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक से बैंक की प्रदत्त पूंजी बढाने हेतु आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा।

ग. सेबी विनियम, 2015 (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) के विनियम 41 के उप-खण्ड (4) के अनुसार जब कभी बैंक द्वारा कोई नया निर्गम या ऑफर किया जा रहा हो तो, वर्तमान शेयरधारकों को आनुपातिक आधार पर वही शेयर दिए जाने चाहिए जब तक कि साधारण बैठक में शेयरधारक इसके विपरीत निर्णय न लें। उक्त संकल्प, यदि पारित हो, बैंक की ओर से बोर्ड को वर्तमान शेयरधारकों को आनुपातिक आधार पर देने के स्थान पर प्रतिभूतियों के सृजन, ऑफर और आबंटन की अनुमति प्राप्त होगी।

घ. संकल्प के माध्यम से बैंक क्यूआईपी, फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर राइटसृ इश्यू आदि के माध्यम से ईक्विटी शेयर/ अधिमानी शेयर/ प्रतिभूति के सृजन, ऑफर और आबंटन कर पाएगा। निर्गम प्राप्तियों से बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट किए अनुसार अपनी पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं को सुदृढ कर पाएगा।

ङ. संकल्प में आईसीडीआर विनियमों में परिभाषित अनुसार अर्हताप्राप्त संस्थागत खरीददारों के साथ अर्हताप्राप्त संस्थागत प्लेस्मेंट द्वारा शेयर जारी करने के लिए निदेशक मंडल को सशक्त करने की माँग है । निदेशक मंडल अपने विवेकानुसार आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अंतर्गत निर्धारित इस पद्धति को बैंक द्वारा शेयरधारकों से नया अनुमोदन प्राप्त किए बिना निधि जुटाने के लिए अपना सकता है ।

आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अनुसार क्यूआईपी निर्गम के मामले में, क्यूआईपी आधार पर प्रतिभूति "संबद्ध तिथि" के पूर्व के दो सप्ताहों के दौरान स्टॉक एक्सचेज में ईक्विटी शेयरों के सप्ताह के उच्चतम एवं न्यूनतम संवरण मूल्य के औसत से कम मूल्य में जारी नहीं किया जा सकता है । "संबद्ध तिथि" का अर्थ है उस बैठक की तिथि जिसमें बैंक के बोर्ड या समिति द्वारा क्यूआईपी निर्गम जारी करने का निर्णय लिया गया ।

च. बैंक की 15 वीं वार्षिक आम बैठक में क्यूआईबी के साथ क्यूआईपी सहित विभिन्न विकल्पों के अंतर्गत पूंजी जुटाने हेतु अनुमोदन प्राप्त किया गया था। दिशा-निर्देशों के अनुसार संकल्पों की वैधता ऐसे क्यूआईपी के लिए बारह माह तक सीमित है। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए (उपर्युक्त मद (क) में बताए अनुसार), पुन: शेयरधारकों की अनुमति मांगी जा रही है।



छ. चूंकि ऑफर का मूल्य-निर्धारण केवल बाद में ही किया जा सकता है, शेयरों / प्रतिभूतियों के निर्गम का मूल्य बता पाना संभव नहीं है। तथापि, यह आईसीडीआर विनियम, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 और समय समय पर यथा आशोधित आन्ध्रा बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 2003 या कोई अन्य दिशा-निर्देश/ विनियम / सहमति आदि, जो लागू /अपेक्षित हों, के प्रावधानों के अनुरूप होगा।

ज. ईक्विटी शेयरों के निर्गम के विस्तृत नियम और शर्तें, जब और जैसे बनाए जाएंगे, मर्चंट बैंकर, अग्रणी प्रबंधक, सलाहकार और बैंक द्वारा अपेक्षित माने गए ऐसे अन्य प्राधिकारियों के परामर्श से वर्तमान बाजार परिस्थिति और अन्य संबंधित घटकों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे। संकल्प द्वारा बोर्ड को एक या अधिक भागों में ऐसे समय या समयों पर, ऐसे मूल्य या मूल्यों पर और ऐसे निवेशकों को, जिनका उल्लेख उसमें किया गया है, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेकानुसार उचित मानता है, शक्तियां प्राप्त होंगी।

झ. चूंकि ऑफर का मूल्य-निर्धारण केवल बाद में ही किया जा सकता है, शेयरों / प्रतिभूतियों के निर्गम का मूल्य बता पाना संभव नहीं है। तथापि, यह आईसीडीआर विनियम, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 और समय समय पर यथा आशोधित आन्ध्रा बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 2003 या कोई अन्य दिशा-निर्देश/ विनियम / सहमति आदि, जो लागू /अपेक्षित हों, के प्रावधानों के अनुरूप होगा।

ञ. उपर्युक्त कारणों से, ऐसे संकल्प का प्रस्ताव है जिससे बोर्ड को निर्गम की शर्तों को अंतिम रूप देने हेतु पर्याप्त स्वेच्छा और विवेकाधिकार प्राप्त हो सके।

ट. ऐसे जारी किए गए ईक्विटी शेयर, सभी प्रकार से लाभांश सहित बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयरों के समरूप होंगे।

ठ. इस प्रयोजन के लिए बैंक को विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। अत: उपर्युक्त प्रस्ताव के लिए आपकी सहमति मांगी गई है।

आपके निदेशक सूचना में बताए अनुसार संकल्पों की सिफारिश करते हैं।

बैंक के किसी भी निदेशक को उपर्युक्त संकल्प(पों) में, बैंक में अपनी शेयरधारिता की सीमा और पूंजी जुटाने में उनकी प्रतिभागिता, यदि हो, के आगे कोई हित या संबंध नहीं है।

वाई. अमरनाथ
कंपनी सचिव

स्थान: हैदराबाद
स्थान : 07.05.2016

ANDHRA BANK M.B. Division H.O. Hyd.